उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी0सी0 12 वी0, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F83169/C-2/N.O.C/1423/16 दिनांक 08-7-16

सेवा में,

श्री आनन्द गुप्ता
(द्वारा मै0 रेजीडेंशियल काम्पलेक्स)
121-ई, कृष्णाकुंज, श्याम नगर,
जनपद- कानपुर।

पंजीकृत

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से आवासीय परियोजना के स्थापनार्थ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व सहमति (कन्सेन्ट टू स्टेब्लिश) अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया तथा कृपया अवगत हों कि आवासीय परियोजना को पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवम् सामान्य शर्तो के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क) स्थल	:- भूखण्ड/भवन सं0: एल-1, चकेरी, जनपद- कानपुर।
(ख) प्रस्तावित परियोजना का विवरण	:- स्थल विकास/भूखण्ड विकसित कर आवासीय बहुमंजिला समूह आवास (कुल प्लॉट क्षेत्रफल-3203 वर्गमीटर, जिसमें 10964.117 वर्गमीटर बिल्टअप एरिया में आवासीय भवन निर्माण कार्य प्रस्तावित है)।
(ग) परियोजना के निर्माण हेतु प्रयुक्त सामग्री	:- भवन निर्माण सामग्री।
(घ) घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा	:- 48 कि0ली0/दिन
(ड.) वायु प्रदूषण स्रोत एवं प्रयुक्त ईंधन	:-डी0जी0 सेट 02 नग- 25 के0वी0ए0 व 7.5 के0वी0ए0 हेतु डीजल आवश्यकतानुसार।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2 परियोजना में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. परियोजना/उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन/संचालन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमो के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई मे उत्पादन/संचालन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन/संचालन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि परियोजना/उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत परियोजना/उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

कृ0पृ0उ0

23 Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction debris or construction material shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particle.

24. All medical help, investigation and treatment will be provided to the workers involved in the construction of building and carrying of construction of building and carrying of construction debris or construction material related to dust emission.

25. The transportation of construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place will be carried out in accordance with rules.

26 Fixing of sprinklers and creation of green air barriers will be done to control fugitive dust emission and improve environment.

27 Compulsory use of wet jet in grinding and stone cutting will be practiced.

28. Wind breaking walls will be constructed around the construction site.

29. Green belt will be developed around the building as per Rules.

30. All approach roads & in campus roads should be sprinkled with water to suppress the dust emission.

31. अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों एवं बोर्ड में जमा बैंक गारण्टी संख्या 127GT02160930001 दिनांक 02.04 2016 रूपये 1,20,000/– एच0डी0एफ0सी0 बैंक, सिविल लाइन्स, कानपुर में वर्णित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवम् सामान्य शर्तों तथा बैंक गारण्टी में उल्लिखित शर्तों का प्रभावी एवम् संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड में जमा बैंक गारण्टी को जब्त करते हुए बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा इसे निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के संबंध में आवासीय परियोजना द्वारा इस कार्यालय में 31.08.2016 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए।

भवदीय,

(एस0 सी0 यादव)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0 /एन0ओ0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(टी0 यू0 खान)
पर्यावरण अभियंता
प्रभारी– वृत्त 2

4. परियोजना/उद्योग में परीक्षण उत्पादन/संचालन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।
5. भूखण्ड/भवन सं0: एल–1, चकेरी, जनपद– कानपुर में स्थल विकास/भूखण्ड विकसित कर आवासीय बहुमंजिला समूह आवास (कुल प्लाट क्षेत्रफल–3203 वर्गमीटर, जिसमें 10954.117 वर्गमीटर बिल्टअप एरिया में आवासीय भवन निर्माण कार्य किया जाए।
6. संस्था द्वारा प्रस्तावानुसार 48 कि0ली0/दिन घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु 52 कि0ली0/दिन क्षमता का एस0टी0पी0 स्थापित किया जाए। शुद्धिकृत सीवेज को फ्लशिंग, हरित पट्टिका की सिंचाई तथा अन्य प्रयोजनों मे अधिकाधिक रिसाइकिल किया जाए तथा यदि अवशेष सीवेज को अथारिटी के सीवर लाइन में निस्तारित किया जाता है तो अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर बोर्ड को प्रेषित करें।
7. परियोजना के निर्माण के दौरान डस्ट नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जाए।
8. निर्माण गतिविधियों में लगे अस्थायी श्रमिकों के भोजन निर्माण हेतु एल0पी0जी0 की व्यवस्था की जाए तथा उनके सीवेज के निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की व्यवस्था की जाए।
9. संस्था द्वारा सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी0जी0 सेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।
10. ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सालिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
11. नगरीय ठोस अपशिष्ट को एकत्रित करके सेग्रीगेट किया जाए जिससे प्राप्त बायोडिग्रेडेबिल वेस्ट को आर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर के माध्यम से बायो कम्पोस्ट तैयार किया जाए।
12. समस्त प्रस्तावित डी0जी0 सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ–साथ प्रस्तावनुसार चिमनी भी स्थापित की जाए।
13. संस्था द्वारा प्रस्ताव के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित की जाए तथा हरित पट्टिका विकसित की जाए।
14. केन्द्रीय भूजल बोर्ड से एन0ओ0सी0 प्राप्त कर बोर्ड को प्रेषित करें।
15. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता पॉच वर्ष या बैंक गारण्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष कम जो पूर्व हो मान्य होगी।
16. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्य विभागों तथा मा0 न्यायालयों/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा समय–2 पर पारित आदेशों/स्वीकृतियों के अधीन होगी।
17. उद्योग द्वारा किसी भी परिस्थिति में उत्प्रवाह परिसर के बाहर भूमि पर तथा परिसर के अन्दर रिबोरिंग द्वारा जमीन के अन्दर नहीं डाला जाएगा।
18. Unit will put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building for effective and efficient control of dust emission generated during construction of the project.
19. Storage of any construction material particularly sand will not be done on any part of street and roads in the projects area. The construction material of any kind stored on site will be fully covered in all respect so that it does not disperse in the air in any form.
20. All the construction material & debris will be carried in trucks or vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or construction material does not get dispersed in to the air or atmosphere in any form whatsoever.
21. The dust emission from the construction sites will be completely controlled and all precautions will be taken in that behalf.
22. The vehicles carrying constriction debris or construction material of any kind will be cleaned before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.

.......3/-